

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अबनि/निकोले/अल्प बचत/2020/3597-3640

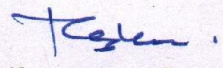
दिनांक :- 28/5/2021

परिपत्र

राजस्थान के कोषालयों के माध्यम से संचालित अल्प बचत योजनाओं यथा महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत अभिकर्ता प्रणाली (MPKBY) एवं प्राधिकृत अभिकर्ता प्रणाली (SAS) के अधिकृत अभिकर्ताओं की एजेन्सी का प्रत्येक 03 वर्ष पश्चात् जून व दिसम्बर माह में नवीनीकरण का कार्य किया जाता है। राज्य के सभी कोषालयों (अल्प बचत) में उन सभी अभिकर्ताओं जिनकी एजेन्सी की कार्यालयों से आवेदन प्राप्त कर समस्त दस्तावेजों/पूर्तियों के साथ संबंधित कोष कार्यालयों में 45 दिन पूर्व जमा करवाना होता है।

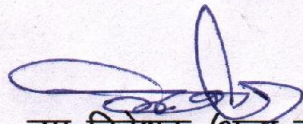
वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सम्पूर्ण राज्य में जन अनुशासन पखवाड़ा एवं लॉक डाउन तथा राज्य के विभिन्न जिलों में कर्फ्यू एवं कन्टेनमेन्ट जोन घोषित होने के कारण कोरोना संक्रमण के संदर्भ में अल्प बचत अभिकर्ताओं के लिए एजेन्सी नवीनीकरण की प्रक्रिया 30 जून-2021 तक पूर्ण करवाना असंभव प्रतीत होता है।

अतः भारत सरकार के पत्रांक 14/01/2020-एन.एस. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट डिविजन) नई दिल्ली दिनांक 24.05.2021 एवं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अल्प बचत अभिकर्ता संघ के पत्र क्रमांक दिनांक 22.04.2021 के क्रम में राज्य के सभी जिला कोष कार्यालयों (अल्प बचत) को निर्देशित किया जाता है कि राज्य में अल्प बचत अभिकर्ताओं (MPKBY व SAS) की उन सभी एजेन्सी धारक अभिकर्ताओं जिनकी एजेन्सी नवीनीकरण की अंतिम तिथि 30 जून-2021 है उनकी नवीनीकरण की अंतिम तिथि उक्त विकट परिस्थितियों के मद्देनजर तुरन्त प्रभाव से 30 सितम्बर-2021 की जाती है।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- अबनि/निकोले/अल्प बचत/2020/3597-3640. दिनांक :- 28/5/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलात विभाग (बजट अनुभाग), नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.05.2021 के संदर्भ में।
2. संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय बचत संस्थान, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अल्प बचत अभिकर्ता संघ, राजस्थान।
4. समस्त जिला कोषाधिकारी (अल्प बचत), राजस्थान।
5. समस्त अधिकृत अल्प बचत अभिकर्ता, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (अल्प बचत)